

कार्यालय जिला पंचायत, इलाहाबाद।

पत्रांक: 105 / निर्माण / 2011-12

दिनांक:- 12.10.2011

अपरिहार्य कारणों से राज्य वित्त योजना के अन्तर्गत दिनांक 24.10.2011 आमंत्रित की गयी निविदा को दिनांक 02.11.2011 को आहूत की जाएगी, निविदा फार्मों की बिक्री दिनांक 01.11.2011 तक पूर्व में विज्ञापित शर्तों के अनुसार ही होगी।

hlc =
अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत, इलाहाबाद।

पृ0सं0 105(14) निर्माण / 2011-12

दिनांक:- 12.10.2011

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. मा0 अध्यक्ष जिला पंचायत, इलाहाबाद को अवलोकनार्थ।
2. जिलाधिकारी, इलाहाबाद को अवलोकनार्थ।
3. मुख्य विकास अधिकारी/मुख्य अधिकारी जिला पंचायत, इलाहाबाद।
4. अपर जिलाधिकारी, ना0आ0 को जिलाधिकारी महोदय के पत्र दिनांक 07.07.2011 के क्रम में अवलोकनार्थ प्रेषित।
5. नगर आयुक्त, नगर निगम, इलाहाबाद।
6. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, इलाहाबाद।
7. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, इलाहाबाद।
8. अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, इलाहाबाद।
9. अधिशासी अभियन्ता, बेलन नहर प्रखण्ड सिंचाई विभाग, जल निगम, इलाहाबाद।
10. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, इलाहाबाद को इस अनुरोध के साथ कि कृपया उक्त निविदा सूचना को उपरोक्त वेबसाइट पर अपलोड करने की कृपा करें।
11. वित्तीय परामर्शदाता, जिला पंचायत, इलाहाबाद।
12. रोकड़िया जिला पंचायत, इलाहाबाद।
13. कार्यालय नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
14. विज्ञापन व्यवस्थापक पाइनियर, स्वतंत्र भारत, न्यायाधीश इलाहाबाद को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त विज्ञापन को अपने दैनिक समाचार पत्र के एक दिन के अंक में न्यूनतम स्थान में प्रकाशित कर बिल भुगतान हेतु तीन प्रतियों में प्रस्तुत करें।

hlc =
अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत, इलाहाबाद।